

(X)

**Government of Chhattisgarh,
Law and Legislative Affairs Department
D.K.S. Bhawan, Mantralaya, Raipur Chhattisgarh**

NOTIFICATION

Raipur, dated 1.7.2010

F.No 9038/1640 /XXI-B/C.G./10. In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh, here by makes following further amendment in department notification No. 1507/D-359/XXI-B/C.G./05 dated 24.2.2005 (as amended vide department notification No.7169/F-2157/XXI-B/C.G/05 dated 6.9.2005, notification No.5813/D-2084/XXI-B/C.G/07 dated 9.7.2007, notification No.6912/D-2339/XXI-B/C.G/07 dated 8.8.2007, and notification No.9511/D-3020/XXI-B/C.G.08 dated 4.10.2008) and order that instead of I Additional Principal Judge, Family Court, Durg, now the Principal Judge, Family Court, Durg, Shall hold additional sitting at Bemetara, for a week in the forth week of every month.

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 1.7.2010

फा. क. 9038/1640/21-ब/छ.ग./2010 - राज्य सरकार, एतद्वारा, कुटुम्ब न्यायालय, अधिनियम 1984 (क.मांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, विभाग की अधिसूचना क. 1507/डी-397/21-ब/छ.ग./05 दि. 24.2.2005

(विभागीय अधिसूचना क. 7169/एफ-2157/21-ब/छ.ग./05 दि. 6.9.05, अधिसूचना क. 5813/डी-2084/21-ब/छ.ग./07 दि. 9.7.2007 अधिसूचना क. 6912/डी-2339/21-ब/छ.ग./07 दि. 8.8.2007 अधिसूचना क. 9511/डी-3020/21-ब/छ.ग./08 दि. 4.10.2008 द्वारा यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित करती है कि प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग के स्थान पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग प्रत्येक माह के चौथे सप्ताह में कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा में एक सप्ताह के लिये अतिरिक्त बैठक करेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

Aug. 7, 2010
(आर.एस. शर्मा)

प्रमुख सचिव

छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क. 9039 /डी-1640/21-ब/छ.ग./2010 रायपुर,दिनांक 1/07/2010
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके ज्ञापन क. 4222 दि. 30.6.2010 के संदर्भ में
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग
3. माननीय विधि मंत्री जी, के निज सचिव की ओर माननीय विधि मंत्री जी के अवलोकन हेतु,
4. प्रमुख सचिव, विधि के स्टाफ आफिसर की ओर प्रमुख सचिव विधि के अवलोकन हेतु,
5. प्रमुख सचिव, वित्त के निज सहायक की ओर प्रमुख सचिव वित्त के अवलोकन हेतु,
6. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

AK
Sharma
(आर.के. तिवारी) 7-10

अति. सचिव,

छ.ग.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग